न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 22 / 2023

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2023 / 61

प्रार्थीया	अप्रार्थीगण
सोहन कंवर पुत्री राणसिंह	राणसिंह पुत्र गणपतसिंह वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजू :– 07.07.2023

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीया की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री फुसाराम प्रजापत उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश सुथार उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सदराम बिश्नोई उपस्थित।
4. अप्रार्थीगण संख्या 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमसिंह अचलपुर उपस्थित।
5. अप्रार्थीगण संख्या 3 व 5 लगायत 10 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 03.12.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा बावरला में प्रार्थीया की पुश्तैनी खेत के पुराना खसरा नंबर 314, 316, 453, 560 कुल रकबा 42 बीघा 11 बिस्वा थे, जिसका द्वितीय सेटलमेंट के दौरान नवीन खसरा नंबर खेत खाता संख्या 152 के खसरा नंबर 660 / 1337 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नंबर 884 रकबा 1.43 हैक्टेयर कुल रकबा 1.71 हैक्टेयर, खाता संख्या 162 के खसरा नंबर 676 / 1383 रकबा 0.15 हैक्टेयर का आया हुआ है तथा खाता संख्या 163 के खसरा नंबर 1138 रकबा 2.52 हैक्टेयर का आया हुआ है। इसी प्रकार मौजा रघुनाथपुरा पटवार हल्का बावरला के खेत खाता संख्या 131 के खसरा नंबर 627 रकबा 0.91 हैक्टेयर, खसरा नंबर 630 रकबा 1.22 हैक्टेयर कुल रकबा 2.13 हैक्टेयर तथा इसी ग्राम के खेत खाता संख्या 132 के खसरा नंबर 59 रकबा 0.80 हैक्टेयर, खसरा नंबर 600 रकबा 0.85 हैक्टेयर, खसरा नंबर 601 रकबा 0.84 हैक्टेयर, खसरा नंबर 602 रकबा 0.81 हैक्टेयर कुल रकबा 3.30 हैक्टेयर के आये हुए है जिसमे प्रार्थी के पिता राणसिंह की भूमि में प्रार्थीया का पुश्तैनी, जन्मसिद्व हकहकूक का आया हुआ था व है जिस पर कब्जा काश्त भी पुश्तैनी रूप से प्रार्थीया का चला आ रहा है जिसमें प्रार्थीया की रहवासीय ढ़ाणी, कुंआ स्थित है। उक्त आराजी को वादपत्र में वादग्रस्त आराजी [illegible] उल्लेखित किया जाएगा। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि [illegible] बावरला में प्रार्थीया की पुश्तैनी खेत के पुराना खसरा नंबर 314, 316, 453, 560 कुल रकबा 42 बीघा 11 बिस्वा थे, जिसका द्वितीय सेटलमेंट के दौरान नवीन खसरा [illegible] खेत खाता संख्या 152 के खसरा नंबर 660 / 1337 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नंबर 884 रकबा 1.43 हैक्टेयर कुल रकबा 1.71 हैक्टेयर, खाता संख्या 162 के खसरा नंबर 676 / 1383 रकबा 0.15 हैक्टेयर का आया हुआ है तथा खाता संख्या 163 के खसरा नंबर 1138 रकबा 2.52 हैक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:43:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

का आया हुआ है। इसी प्रकार मौजा रघुनाथपुरा पटवार हल्का बावरला के खेत खाता संख्या 131 के खसरा नंबर 627 रकबा 0.91 हैक्टेयर, खसरा नंबर 630 रकबा 1.22 हैक्टेयर कुल रकबा 2.13 हैक्टेयर तथा इसी ग्राम के खेत खाता संख्या 132 के खसरा नंबर 599 रकबा 0. 80 हैक्टेयर, खसरा नंबर 600 रकबा 0.85 हैक्टेयर, खसरा नंबर 601 रकबा 0.84 हैक्टेयर, खसरा नंबर र602 रकबा 0.81 हैक्टेयर कुल रकबा 3.30 हैक्टेयर भूमि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीयागण के जन्मसिद्ध कब्जे उपयोग में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं करें एव न ही करावें। वादग्रस्त आराजी को आगे से आगे बैचान, रहन, तर्क, दान, वसीयत आदि नहीं करें तथा आराजी में अवैध गैर कानूनी बैचान से नामान्तरकरण इत्यादि नहीं करें तथा अप्रार्थी संख्या 08 वादग्रस्त आराजी से संबंधित किसी भी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन नहीं करें। अप्रार्थीगण मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखें। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीयागण विरूद्व अप्रार्थीगण जारी फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 02 की ओर से जवाब प्रार्थना–पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का वाद मय खर्चा निरस्त फरमावें और उतरदाता अप्रार्थीगण को नाजायज रूप से परेशान व हैरान करने के लिए प्रार्थीया से रूपए 50,000/– हर्जाना दिलाए जाने का आदेश फरमावें।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम बावरला के खेत खाता संख्या 152 के खसरा नंबर 660/1337, 884 कुल रकबा 1.71 हैक्टेयर, खाता संख्या 162 के खसरा नंबर 676/1383 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खाता संख्या 163 खसरा नंबर 1138 रकबा 2.52 हैक्टेयर इसी ग्राम मौजा रघुनाथपुरा पटवार हल्का बावरला के खेत खाता संख्या 131 के खसरा नंबर 627, 630 कुल रकबा 2.13 हैक्टेयर व इसी गांव के खेत खाता संख्या 132 खसरा नंबर 599, 600, 601, 602 कुल रकबा 3.30 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थीगण मौजा एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:43:55 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **03.12.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर